Report on Days Celebrated and New Module Legal Services (Multi-Purpose) Camps held during the Month of September-2026 by UKSLSA/DLSAs



UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

High Court Campus, Nainital - 263001, Telefax: 05942-236552, e-mail: slsa-uk@nic.in,
Website: https://uttarakhand.nalsa.gov.in
Portal For Free Legal Aid: https://nyaymitraslsa.uk.gov.in
Toll Free No:-**UKSLSA**-18001804000, **NALSA**-15100

INDEX

S.N	Particulars	Page No.
1	**Teachers Day**	**3-7**
1.1	Introduction	3
1.2	Picture Gallery	4-6
1.3	Statistical Information	7
2	**International Literacy Day**	**8-11**
2.1	Introduction	8
2.2	Picture Gallery	9-10
2.3	Statistical Information	11
3	**National Lok Adalat**	**12-16**
3.1	Introduction	12
3.2	Picture Gallery	13-15
3.3	Statistical Information	16
4	**International Day of Democracy**	**17-20**
4.1	Introduction	17
4.2	Picture Gallery	18-19
4.3	Statistical Information	20
5	**New Module Legal Services (Multi-purpose) camp in coordination with DLSA Dehradun.**	**21-23**
6	**New Module Legal Services (Multi-purpose) camp in coordination with DLSA Chamoli.**	**24-26**
7	**Miscellaneous Programme & Activity**	**27-29**

Teachers Day (5th September, 2026)

As per the monthly plan and directions of the Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital, the All **District Legal Services Authorities** organized a **Legal Literacy and Legal Awareness Camp** on the occasion of **Teachers' Day on 05.09.2026**. The programme was organized with the objective of creating awareness among students, teachers and other participants regarding their legal rights, duties and various legal aid and welfare mechanisms available to them.

The participants were sensitized about the **Fundamental Rights and Fundamental Duties** guaranteed under the Constitution of India. Information was provided regarding the Right to Equality, Right to Freedom and the right to live with dignity. The participants were also made aware of their duties towards the nation, including respecting the Constitution, promoting unity and harmony and protecting public property.



दैनिक ग्राम्य गाथा | उत्तरकाशी | उत्तरकाशी: रविवार 06 सितम्बर 2026 | 2

शिक्षक दिवस पर बौन इंटर कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

● बाल संरक्षण, पॉक्सो और महिला सुरक्षा पर जागरूक किया, डीएलएसए की पहल

ग्राम्य गाथा संवाददाता

उत्तरकाशी। शिक्षक दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) उत्तरकाशी की ओर से राजकीय इंटर कॉलेज बौन में विधिक जागरूकता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों को उनके अधिकारों, बाल संरक्षण कानूनों तथा महिला सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी देकर कानून के प्रति जागरूक किया गया।

उत्तरकाशी के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिन कुमार ने मुख्य वक्ता के रूप में प्रतिभाग किया। उन्होंने शिक्षक दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला हैं। शिक्षक ही विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने, सही दिशा चुनने और बेहतर नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं।

उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष 5 सितम्बर को भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद् एवं दार्शनिक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के कारण उनका जन्मदिन पूरे देश में शिक्षक सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

विधिक के दौरान बाल संरक्षण एवं पॉक्सो (POCSO) अधिनियम पर विस्तार से जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को 'गुड टच-बैड टच', बाल अधिकारों, साइबर अपराधों के बचाव तथा किसी भी प्रकार के शोषण या उत्पीड़न की स्थिति में सहायता प्राप्त करने के कानूनी उपायों के बारे में बताया गया। वक्ताओं ने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों और सुरक्षा संबंधी कानूनों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे वे किसी भी प्रकार की अनिष्टकर परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकें।

कार्यक्रम में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कानूनों पर भी चर्चा की गई। उपस्थित प्रतिभागियों को घरेलू हिंसा, दहेज, यौन उत्पीड़न और शारीरिक उत्पीड़न, यौन अपराधों तथा साइबर अपराधों से संरक्षण के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं को बिना किसी भय के शुरुआत विधिक सहायता योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया गया।

शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जनपद के विभिन्न विद्यालयों में निबंध, चित्रकला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक इन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर शिक्षा और संस्कृति के प्रति अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया।कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिन कुमार, रिटेन अधिवक्ता पवन दत्त जोशी, विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं, छात्र-छात्राएं, कार्यालय कर्मचारी, पारविधिक कार्यकर्ता चमन लाल शाह एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि विधिक जागरूकता के माध्यम से समाज में कानून के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना विकसित की जा सकती है, जिससे एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण संभव होगा।

Information was also provided regarding **NALSA**, the Legal Services Management System (LSMS), the Legal Aid Information System (LAIS) and other available legal assistance mechanisms.



ALMORA



BAGESHWAR



CHAMOLI



CHAMPAWAT



DEHRADUN



HARIDWAR



NAINITAL



PAURI GARHWAL



PITHORAGARH



RUDRAPRAYAG



TEHRI GARHWAL



UDHAM SINGH NAGAR



UTTARKASHI

Legal Awareness Camp Held At Baun Inter College On Teachers' Day

● Students Educated on Child Protection, POCSO Act and Women's Safety Laws





Uttarkashi (The Hawk): On the occasion of Teachers' Day, the District Legal Services Authority (DLSA), Uttarkashi, organized a Legal Literacy and Awareness Camp at Government Inter College, Baun. The programme aimed to educate students, teachers and parents about their legal rights, child protection laws and provisions related to women's safety.

The camp was organized under the directions of the Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital, and the guidance of the District Judge and Chairman of DLSA Uttarkashi. Secretary of the District Legal Services Authority, Sachin Kumar, attended the event as the chief speaker.

Addressing the gathering, Sachin Kumar highlighted the significance of Teachers' Day, stating that teachers are the foundation of society and nation-building. He said teachers play a vital role in guiding students, helping them make the right choices and inspiring them to become responsible citizens.

He also explained that Teachers' Day is celebrated every year on September 5 to commemorate the birth anniversary of India's second President, eminent philosopher and educationist Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. His remarkable contribution to the field of education has made his birthday a symbol of respect and gratitude towards teachers across the country.

During the awareness session, detailed information was provided on child protection laws and the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act. Students were educated about "Good Touch and Bad Touch," child rights, cyber safety and the legal remedies available in cases of abuse, exploitation or harassment. Speakers emphasized that awareness of rights and protective laws is essential for children to face challenging situations with confidence.

The programme also focused on laws related to women's safety. Participants were informed about legal provisions aimed at protecting women from domestic violence, physical and mental harassment, sexual offences and cybercrimes. Information regarding free legal aid schemes available to women was also shared.

As part of the Teachers' Day celebrations, various educational institutions across the district organized essay writing, painting and cultural competitions. Students enthusiastically participated in these activities, showcasing their creativity and appreciation for education and culture.

The event was attended by DLSA Secretary Sachin Kumar, Retainer Advocate Padam Dutt Joshi, the school principal, teachers, students, office staff, Para Legal Volunteer Chaman Lal Shah and a large number of local residents.

Speakers concluded that legal awareness plays a crucial role in promoting respect for the law and a sense of responsibility among citizens, ultimately contributing to the creation of a safer and more just society.

शिक्षक राष्ट्र की नींव रखने वाले कुशल शिल्पी : रुचिका नरूला

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षक दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

मुरादाबाद न्यूज प्राइम संवाददाता: विनोद जोशी

टनकपुर। शिक्षक दिवस के अवसर पर शनिवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय टनकपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत की ओर से साक्षरता एवं विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की करीब 150 छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बा न्यायालय टनकपुर की सिविल जज जूनियर डिविजन रुचिका नरूला रहीं। अध्यक्षता विद्यालय की वार्डन प्रेमा ठाकुर ने की, जबकि संचालन पीएलवी बिजेंद्र अग्रवाल ने किया।

सिविल जज रुचिका नरूला ने कहा कि शिक्षक दिवस केवल एक तारीख नहीं, बल्कि उन शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है, जो बिना किसी शोर-शराबे के प्रतिदिन राष्ट्र की मजबूत नींव तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक एक कुशल शिल्पी की तरह विद्यार्थियों को तराशकर उन्हें बेहतर नागरिक और देश के भविष्य का निमार्ता बनाते हैं।







शिविर के दौरान पीएलवी बिजेंद्र अग्रवाल, अमित कुमार, किरन जोशी और सुनील कुमार ने छात्राओं को विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनी एवं सामाजिक विषयों की जानकारी दी। छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव, बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड, नई रोशनी योजना के लाभ, किशोर न्याय अधिनियम, बाल संरक्षण एवं बाल शिक्षा, बाल श्रम निषेध तथा नशे के दुष्प्रभावों और उसके विरोध के संबंध में जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर सिविल जज रुचिका नरूला ने शिक्षक दिवस पर विद्यालय की वार्डन प्रेमा ठाकुर तथा अध्यापिकाओं मनु तिवारी, संजू चंद, संगीता सिंह, रेणु वल्दिया, अर्चना उप्रेती शर्मा और सुमन चंद को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।

कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को जहां शिक्षकों के योगदान और उनके महत्व से परिचित कराया गया, वहीं उन्हें अपने कानूनी अधिकारों, बाल संरक्षण और साइबर सुरक्षा के प्रति भी जागरूक किया गया।

शिक्षक राष्ट्र के भविष्य के निर्माता, कस्तूरबा गांधी विद्यालय टनकपुर में विधिक जागरूकता के साथ मनाया गया शिक्षक दिवस

शिक्षकों की भूमिका से लेकर साइबर अपराध और बाल विवाह तक जागरूक हुईं 150 छात्राएं, रुचिका नरूला ने किया शिक्षकों का सम्मान

by **Rajiv Gupta**
3 days ago

467 Views



As per the Data received from DLSAs, the consolidated report is as under:

S.N	District	Place	Total No. of Person Attended	Remark
1	Almora	Raja Anand Singh Govt. Girls Inter College, Almora.	540	Sensitized the students about the "Protection of Children from Sexual offence Act" and organised a workshop related to domestic violence and sexual harassment issues.
2	Bageshwar	Pt. Badri Dutt Pandey Campus Bageshwar.	10362	Legal Literacy and Awareness Camp. Total 471 camps were organised by PLVs.
3	Chamoli	Govt. Inter College, Alkapuri, Chamoli.	1869	Legal Literacy and Awareness Camp. Total 42 camps were organised by PLVs.
4	Champawat	Kasturba Gandhi Awaasiya Balika Vidhalay, Tanakpur.	593	Legal Literacy and Awareness Camp. Total 19 camps were organised by PLVs. Sensitized about RTE Act.
5	Dehradun	Rajkiya Inter College, Bhimwala, Vikasnagar.	1500	Legal Literacy and Awareness Camp. Total 27camps were organised by PLVs.
6	Haridwar	Children Home Haridwar.	922	Legal Literacy and Awareness Camp. Total 43camps were organised by PLVs. Workshop on POCSO Act and awareness about RTE Act 2009.
7	Nainital	Distcict Court Campus.	25	Legal Literacy and Awareness Camp.
8	Pauri Garhwal	District Court, Pauri.	30	Legal Literacy and Awareness Camp.
9	Pithoragarh	Vikas Bhawan Sabhagaar, Pithoragarh.	122	Legal Literacy and Awareness Camp. Special emphasis on strict enforcement of Child protection measures and widespread Public awareness.
10	Rudraprayag	Junior High School. Jakholi. Rudraprayag.	711	Awareness about Legal rights of Children, gender-based crime and awareness for education. Total 35 camps were organised by PLVs.
11	Tehri Garhwal	Tehri Bandh pariyojna Inter College, Bhagirathipuram.	3068	Total 49 camps were organised by PLVs. Awareness on Child Protection and POCSO.
12	Udam Singh Nagar	At Various Places.	1668	Total 26 camps were organised by PLVs. Legal Literacy and Awareness Camp
13	Uttarkashi	Govt. inter College, Baun	1239	Legal Literacy and Awareness Camp. Total 93 camps were organised by PLVs.

International Literacy Day (8th September,2026)

In compliance with the monthly plan issued by the **Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital**, all **District Legal Services Authorities,** organized a **Legal Literacy and Legal Awareness Camp** on the occasion of **International Literacy Day on 08.09.2026**. The programme was organized with the objective of spreading awareness regarding the importance of literacy and education and providing information about legal rights, free legal aid and various legal services available to eligible persons.

It was informed that the day was first observed on **08 September 1967**, following the declaration of International Literacy Day by **UNESCO in 1966**. The importance of literacy in enhancing the quality of life, creating employment opportunities and promoting social and economic development was explained to the participants.



अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर गुरु रामराय स्कूल में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर हुआ आयोजित

गबर सिंह भंडारी

हरिद्वार/पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल (सबसे तेज प्रधान टाइम्स)। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर मंगलवार को गुरु रामराय स्कूल पौड़ी में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल एवं जिला परिवीक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शिविर में विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व के साथ ही उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी गयी। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज नाजिश कलीम ने अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा के अधिकार, विधिक साक्षरता,मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों तथा नि:शुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी स्वयं कानून और अपने अधिकारों के प्रति जागरुक होने के साथ ही परिवार और समाज के अन्य लोगों को भी जागरुक करें। जिला परिवीक्षा अधिकारी अरविंद कुमार ने विद्यार्थियों को बाल अधिकार,बाल संरक्षण और किशोरों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करते हुए विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। साथ ही साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की परेशानी,हिंसा,शोषण से जुड़ी समस्या होने पर बच्चे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर जिला रिटेनर अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह रावत सहित अन्य अधिकारी और छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

Objective of International Literacy Day

- Create awareness about the **importance of literacy and education** in individual and social development.
- Promote **literacy among children, adults and disadvantaged sections of society**.
- Highlight that literacy is a **basic human right** and an essential foundation for lifelong learning.
- Encourage governments and communities to take steps towards **universal access to quality education**.
- Promote a more **inclusive, informed, peaceful and developed society** through education and literacy.
- Make people aware that literacy helps individuals understand and exercise their **rights and responsibilities**.



ALMORA



BAGESHWAR



CHAMPAWAT



DEHRADUN



NAINITAL



PAURI GARHWAL



PITHORAGARH



RUDRAPRAYAG



TEHRI GARHWAL



UDHAM SINGH NAGAR



UTTARKASHI


चंपावत VOICE

अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर प्लान आफ एक्शन माह सितम्बर के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन।

अन्तराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर बाड़ागड़ी की ग्राम पंचायत साड़ग में विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर का आयोजन





जागरूकता शिविर में सचिन कुमार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तरकाशी द्वारा उपस्थित लोगो को जानकारी दी गयी कि 1967 से अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का वार्षिक समारोह 8 सितम्बर को दुनिया भर मे मनाया जाता है ताकि नीति निर्माताओं, चिकित्सकों और जनता को अधिक साक्षर, न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण और टिकाउ समाज बनाने के लिए साक्षरता के महत्वपूर्णट महत्व की याद दिलाई जा सकें।

जिदी कलग

उत्तरकाशी। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार एंव जिला जज मलिक मजहर सुल्तान, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तरकाशी के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तरकाशी के तत्वाधान मे दिनांक 08.09.2026 को अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर पट्टी बाड़ागड़ी की ग्राम पंचायत साड़ग उत्तरकाशी मे विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया । जागरूकता शिविर में सचिन कुमार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तरकाशी द्वारा उपस्थित लोगो को जानकारी दी गयी कि 1967 से अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का वार्षिक समारोह 8 सितम्बर को दुनिया भर मे मनाया जाता है ताकि नीति निर्माताओं, चिकित्सकों और जनता को अधिक साक्षर, न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण और टिकाउ समाज बनाने के लिए साक्षरता के महत्वपूर्णट महत्व की याद दिलाई जा सकें।

साक्षरता सभी के लिए एक मौलिक मानव अधिकार है। यूनेसको ने वर्ष 1966 में अन्तरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की घोषणा की तथा इसे पहली बार 8 सितम्बर 1967 को मनाया गया। तब से यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ताकि साक्षरता की परिवर्तनकारी क्षमता को वैश्विक स्तर पर रेखांकित किया जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के नारे ध्यसभी के लिए साक्षरता, सभी के लिए प्रगति, नेतृत्व करने के लिए पढ़, एक साक्षर दिनया एक मजबूत दुनिया है।

उक्त जागरूकता शिविर में सचिन कमार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी पद्म वत जोशी रिटेनर अधिवक्ता, महिला मंगलदल की महिलाएँ, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, छात्र/ छात्राओं, कार्यालय कर्मचारिगण, पराविधिक कार्यकर्ता तथा अन्य लोगो द्वारा प्रतिभाग किया गया।

As per the Data received from DLSAs, the consolidated report is as under:

S.N	District	Place	Total No. of Person Attended	Remark
1	Almora	Govt. Inter College, Syalidhar. Total 68 camps were organised by PLVs.	1350	Information about RTE Act, 2009. Importance of literacy and empowerment and fundamental rights and duties.
2	Bageshwar	Govt. Digree College Garur	1424	Legal Literacy and Awareness Camp. Total 57 camps were organised by PLVs.
3	Chamoli	At various Places	691	Legal Literacy and Awareness Camp Total 32 camps were organised by PLVs.
4	Champawat	The Asian Academy School, Champawat.	800	Legal Literacy and Awareness Camp. Total 20 camps were organised by PLVs.
5	Dehradun	Rajkiya Mahila Polytechnic College, Sourvey Chowk.	1415	Total 27 camps were organised by PLVs. Sensitized about importance of literacy and Right to education act.
6	Haridwar	Akkad kala Villege, Haridwar. Total 83 camps were organised by PLVs.	4833	Organised painting and essay competition for youths and organised a multipurpose camp. PLV assisted in establishing Legal literacy clubs across local schools.
7	Nainital	At Various Places	527	Total 15 camps were organised by PLVs.
8	Pauri Garhwal	At Various Places	735	Total 24 camps were organised by PLVs.
9	Pithoragarh	Govt. girls Inter College, Pithoragarh.	88	Legal Literacy and Awareness Camp highlighting the importance of education in the society and achieving the goal of 100% literacy.
10	Rudraprayag	Industrial training Institute, rudraprayag.	600	Legal Literacy and Awareness Camp promoting Right to education as fundamental rights. Total 26 camps were organised by PLVs.
11	Tehri Garhwal	Govt. inter College, Block Chamba, Tehri.	2445	Legal Literacy and Awareness Camp Total 51 camps were organised by PLVs.
12	Udam Singh Nagar	Gram Panchayat Dhakiya kala, Kashipur.	1696	Total 24 camps were organised by PLVs. Promoting literacy as a basic human rights.
13	Uttarkashi	Govt. Inter College, Purola and Vill- Sadag	1193	Legal Literacy and Awareness Camp Total 84 camps were organised by PLVs.

3rd National Lok Adalat (12th September, 2026)

National Lok Adalat is a people-centric dispute resolution mechanism conducted under the Legal Services Authorities Act, 1987. It helps to settle cases through mutual agreement without lengthy court procedures. Awards passed in Lok Adalats are legally binding and treated as decrees of civil courts.

During the quarter **July to September, 2026**, quarterly National Lok Adalat was organized on **12th September, 2026** across the State of Uttarakhand under the aegis of the National Legal Services Authority and the Uttarakhand State Legal Services Authority in accordance with the provisions of the Legal Services Authorities Act, 1987. The Lok Adalat was conducted simultaneously in the Hon'ble High Court at Nainital, all Districts, Taluks and Court Complexes with the objective of promoting amicable dispute resolution, reducing pendency of cases in courts, and ensuring speedy and cost-effective justice to litigants.

During the said National Lok Adalat, a total of **8245 pre-litigation cases** and **17186 pending cases** were successfully settled through mutual compromise between the parties. As a result of these settlements, Rs. 13,65,18,055**/-** was the settlement amount pre-litigation matters, while Rs. 1,25,58,31,389/- was the settlement amount in pending court cases.



पिथौरागढ़, चम्पावत जनपदों में आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया फैसला

पिथौरागढ़ में लोक अदालत में 319 मामलों का निस्तारण

सुलह-समझौता

पिथौरागढ़, संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विभिन्न न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

शनिवार को आयोजित लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के कुल 319 मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। इस दौरान बैंच संख्या एक पीठासीन अधिकारी जिला जज धनंजय चतुर्वेदी की बैंच में 13 मामलों का निस्तारण हुआ। बैंच संख्या दो पीठासीन अधिकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमन की बैंच में 64 मामलों का निस्तारण हुआ। बैंच संख्या तीन पीठासीन अधिकारी सिविल जज सीनि रमेश चन्द्र की बैंच में कुल 99 मामलों का निस्तारण किया गया। बैंच संख्या चार पीठासीन अधिकारी सिविल जज जूनि सिविल बैंच में 21 मामलों का निस्तारण किया गया।

बैंच संख्या पांच पीठासीन अधिकारी सिविल जज जूनि मुलिसारी अंजुम के बैंच में 73 मामलों का निस्तारण किया गया। गंगोलीहाट में 49 मामलों का निस्तारण हुआ। लोक अदालत को सफल बनाने में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, बैंक के अधिकारियों व न्यायालय के कर्मचारियों ने सहयोग किया।

गंगोलीहाट में 49 मामले निपटे

गंगोलीहाट। गंगोलीहाट में 49 मामलों का निस्तारण किया गया। शनिवार को पीठासीन अधिकारी सिविल जज रजनीश मोहन की अध्यक्षता में बैंच संख्या छह में कुल 49 मामलों का निस्तारण किया गया। जिसमें कुल 15,51000 रुपये की धनराशि वसूली गयी। वरिष्ठ अधिवक्तागण देव सिंह रावत, राजेन्द्र सिंह ठीकला, जीवन दीप्त, मनोज सिंह रावत, सुनील कुमार बोहरा, गौरव पंत, न्यायालय पेशकार संजय कुमार पाठक रहे।

लोक अदालत में 111 वादों का निस्तारण किया

चम्पावत। राष्ट्रीय लोक अदालत में 111 मामलों का निस्तारण किया गया। जिसे 1.07 करोड़ रुपये का सेटलमेंट किया गया। चम्पावत और टनकपुर में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई। चम्पावत में प्राधिकर अध्यक्ष व जिला जज अनुज कुमार संगल और सचिव भवदीप गयाते के दिशा निर्देशन में शिविर लगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ पनपत समीर चौधरी ने बताया कि लोक अदालत में प्रथम पीठ सिविल जज सीनियर डिवीजन, चम्पावत ने 48 लंबित मुकदमों का निस्तारण करते हुए ₹60.16 लाख रुपये का सेटलमेंट कराया। प्री-लिटिगेशन के तहत मनी रिकवरी से जुड़े 40 मामलों का निस्तारण कर 39.30 लाख का का समझौता कराया गया। द्वितीय पीठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, टनकपुर न्यायालय ने 19 लंबित मामलों का निस्तारण कर ₹6.04 लाख का सेटलमेंट कराया गया। वहीं प्री-लिटिगेशन के तहत मनी रिकवरी के चार मुकदमों का निस्तारण कराते हुए ₹1.70 लाख रुपये का समझौता हुआ। लोक अदालत में जिला बार संघ चम्पावत व तहसील बार संघ टनकपुर के अधिवक्ता, नामित सदस्य, पैनल अधिवक्ता, बैंक अधिकारी और आम लोग मौजूद रहे।



लोक अदालत में 30.33 करोड़ राशि पर समझौता

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। जिले में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीयलोक अदालत में 12,444 मामलों का निस्तारण किया गया। इसमें 30.33 करोड़ से अधिक की राशि पर समझौता हुआ।

लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय देहरादून के साथ बाह्य न्यायालय ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला, मसूरी और चकराता में किया गया। विभिन्न बैंकों और संस्थानों के प्री-लिटिगेशन स्तर के 6,903 मामलों का भी निस्तारण किया गया। जिला मुख्यालय दून में पीजेदारी के शमनीय प्रकृति के 242, चेक संबंधी 742, धन वसूली के चार, मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल के 73, पारिवारिक विवाद के 158, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के 29, मोटर वाहन अधिनियम के शमनीय अपराधों के 3,858, अन्य सिविल प्रकृति के 137 और अन्य समझौते योग्य 13 मामलों समेत कुल 5,541 मामलों का

जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत में 12444 मामलों का निस्तारण

निस्तारण किया गया। यहां 26.49 करोड़ रुपये की धनराशि पर समझौता हुआ।

विकासनगर में 1,316 मामलों का निस्तारण कर 1.71 करोड़ रुपये, ऋषिकेश में 557 मामलों का निस्तारण कर 2.59 करोड़ रुपये, डोईवाला में 179 मामलों का निस्तारण कर 1.17 करोड़, मसूरी में 55 मामलों का निस्तारण कर 0.08 करोड़ और चकराता में 73 मामलों का निस्तारण कर 0.11 करोड़ की राशि पर समझौता हुआ। जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हरीश कुमार गोयल और प्राधिकरण की सचिव सीमा डुंगराकोटी ने कहा कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालतें न्याय प्रणाली की गरिमा को सुदृढ़ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

The successful disposal of a large number of disputes and the substantial settlement amount achieved during the National Lok Adalat significantly contributed to reducing the burden on regular courts and strengthened the objective of providing accessible, affordable, and expeditious justice to the people of the State.



ALMORA



BAGESHWAR



CHAMOLI



CHAMPAWAT



DEHRADUN



HARIDWAR



NAINITAL



PAURI GARHWAL



PITHORAGARH



RUDRAPRAYAG



TEHRI GARHWAL



UDHAM SINGH NAGAR



UTTARKASHI



राष्ट्रीय लोक अदालत आज

चंपावत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

सुबह 10 बजे से जिला मुख्यालय चंपावत और बाह्य न्यायालय टनकपुर में होने वाली लोक अदालत में लंबित मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।

लोक अदालत में लघु आपराधिक मामले, घरेलू हिंसा आदि मामलों की सुनवाई होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भवदीप रावते ने वादकारियों से लोक अदालत में पहुंचकर अपने मामलों का निस्तारण कराने की अपील की है। संवाद



लोक अदालत में 4130 वादों का निस्तारण

रुद्रपुर, संवाददाता। ऊधमसिंहनगर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित वादों के साथ प्री-लिटिगेशन मामलों का भी आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। जिलेभर में कुल 4130 वादों का निस्तारण हुआ, जबकि प्री-लिटिगेशन के 297 मामले भी निस्तार गए। लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाते हुए त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराना रहा।

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देश और जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर के आदेश के तहत द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय रुद्रपुर में अपर जिला न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्या की पीठ ने 57 वाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयेंद्र सिंह ने 504 वाद, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) गुंजन सिंह ने 377 वाद तथा विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुद्रपुर रितिका सेमवाल ने 48 वादों का निस्तारण किया। जिला मुख्यालय पर लोक अदालत के लिए आठ विशेष पीठों का गठन किया गया था। पक्षकारों की सुविधा के लिए बैंक, बीमा समेत विभिन्न विभागों के सहायता काउंटर और स्टॉल भी लगाए गए। लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित मामलों के अलावा ऐसे विवाद भी शामिल किए गए, जो अभी न्यायालय में दाखिल नहीं हुए थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ममता पंत ने आभार व्यक्त किया।

रुद्रपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण करते न्यायिक अधिकारी। • हिंदुस्तान

राष्ट्रीय लोक अदालत में 60 वादों का निस्तारण

जसपुर। राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को 60 वादों का निस्तारण किया गया। सिविल जज (जुडि.) जहांआरा अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित लोक अदालत में धारा 138 एनआई एक्ट के 19 वाद, शमनीय प्रकृति के पांच आपराधिक वाद, घरेलू हिंसा अधिनियम के पांच वाद और मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित 31 वादों का निस्तारण किया गया।



राष्ट्रीय लोक अदालत में 1366 वादों का निस्तारण, दो करोड़ से अधिक की वसूली

जसन प्रतिनिधि। पौड़ी : माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी के तत्वावधान में शनिवार को जिला न्यायालय परिसर पौड़ी तथा बाह्य न्यायालय परिसर कोटद्वार, सैंजधौन एवं श्रीनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में आमजन ने बढ़-चढ़कर प्रतिभाग करते हुए अपने विभिन्न वादों एवं विवादों का आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण कराया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल लगभग 1366 वादों का निस्तारण किया गया तथा विभिन्न मामलों में कुल 2,05,86,343/- (दो करोड़ पांच लाख छियासी हजार तीन सौ तैंतालीस रुपये) की धनवसूली/समझौता राशि निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त बैंक संबंधी धनवसूली के प्री-लिटिगेशन के 44 वादों का भी निस्तारण किया गया, जिसमें 15,48,000/- (पंद्रह लाख अड़तालीस हजार रुपये) की धनवसूली की गई। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2026 में आयोजित पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 766 वादों का निस्तारण किया गया था तथा 1,27,85,832/- (एक करोड़ सत्ताईस लाख पचासी हजार आठ सौ बत्तीस रुपये) की धनवसूली की गई थी। साथ ही बैंक संबंधी धनवसूली के प्री-लिटिगेशन के 12 वादों का निस्तारण करते हुए 7,09,000/- (सात लाख नौ हजार रुपये) की धनवसूली की गई थी। इस प्रकार सितंबर 2026 में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पिछले राष्ट्रीय लोक अदालत की तुलना में 600 अधिक वादों का निस्तारण किया गया। वहीं, निर्धारित मामलों में धनवसूली/समझौता राशि में भी लगभग 78 लाख की वृद्धि हुई। बैंक संबंधी प्री-लिटिगेशन मामलों में भी 12 से बढ़कर 44 वादों का निस्तारण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी द्वारा आमजन से अपील की गई कि वे अपने लंबित अथवा प्री-लिटिगेशन विवादों के शीघ्र एवं सुलझपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालत एवं विधिक सेवा संस्थाओं की सेवाओं का अधिकाधिक लाभ उठाएं।

जिला देहरादून में एक ही दिन में राष्ट्रीय लोक अदालत में 12444 मामलों का निस्तारण

देहरादून, संवाददाता। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के तत्वावधान में माठ जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून श्री हरीश कुमार गोयल जी की अध्यक्षता में दिनांक 12 सितम्बर 2026 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक जिला मुख्यालय देहरादून, बाह्य न्यायालय ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला, मसूरी एवं चकराता के न्यायालयों में वर्ष 2026 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम, सिविल मामले, पारिवारिक मामले, चैक बाउन्स से सम्बंधित मामलें, शमनीय प्रकृति के आपराधिक मामलें तथा अन्य प्रकृति के मामले संदर्भित किए गये थे। इस लोक अदालत में जनपद देहरादून में फौजदारी के शमनीय प्रकृति के 242 मामलें चैक सम्बंधी 742 मामलें, धन वसूली सम्बंधी 04 मामलें, मोटर-दुर्घटना क्लेम ट्राईबुनल के 73 मामलें, पारिवारिक विवाद सम्बंधी 158 मामलें, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस सम्बंधी 29 मामले, मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत शमनीय अपराधों के 3858 मामलें, एवं अन्य सिविल प्रकृति के 137 मामलें, अन्य समझौते योग्य 13 मामले सहित कुल 5541 मामलों का निस्तारण किया गया तथा 264989532/- रू0 की धनराशि पर समझौता हुआ। साथ ही बाह्य न्यायालय, विकासनगर के न्यायिक अधिकारियों द्वारा लोक अदालत में कुल 1316 मामलों का आपसी राजीनामे के आधार पर निस्तारण किया गया, जिसमें कुल 1,71,24,800/- रू0 की धनराशि पर समझौता किया गया तथा बाह्य न्यायालय ऋषिकेश के न्यायिक अधिकारियों द्वारा लोक अदालत में कुल 557 मामलों का निस्तारण कर कुल 2,59,13,969/- रूपये की धनराशि पर समझौता किया गया । बाह्य न्यायालय डोईवाला द्वारा 179 मामलों का निस्तारण कर कुल 1,16,58,219/- रूपये की धनराशि पर समझौता किया गया । बाह्य न्यायालय मसूरी द्वारा 55 मामलों का निस्तारण कर कुल 8,21,083/- रूपये की धनराशि पर समझौता किया गया। बाह्य न्यायालय चकराता द्वारा 73 मामलों का निस्तारण कर कुल 10,91,500/- रूपये की धनराशि पर समझौता किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के अध्यक्ष / जिला जज श्री हरीश कुमार गोयल जी द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालतें न्याय प्रणाली की गरिमा को सुदृढ़ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लोक अदालतों के माध्यम से आपसी सहमति, सौहार्द एवं संवाद की भावना को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे समाज में शांति, भाईचारे एवं सामंजस्यपूर्ण वातावरण का निर्माण होता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालतें आमजन को सरल, सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराने का एक सशक्त एवं प्रभावी माध्यम हैं। लोक अदालतों में पारित किए गए निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होते हैं तथा प्रकरणों के निस्तारण उपरांत पक्षकारों को उनके द्वारा जमा किया गया न्याय शुल्क भी वापस किया जाता है।



सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून श्रीमती सीमा डुंगरकोटी ने कहा कि +आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में प्राप्त उल्लेखनीय निस्तारण माठ जिला जज देहरादून श्री हरीश कुमार गोयल जी के सतत मार्गदर्शन, प्रेरणा एवं सभी न्यायिक अधिकारियों के साथ प्रभावी समन्वय का परिणाम है। उनके नेतृत्व में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम द्वारा किये गये सामूहिक एवं समर्पित प्रयासों से बड़ी संख्या में वादों का सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित निस्तारण संभव हो सका। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न बैंकों व अन्य संस्थानों द्वारा प्री-लिटिगेशन स्तर के मामले भी निस्तारित किये गये। उक्त लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर के कुल 6903 मामलों का सफल निस्तारण किया गया तथा 3,84,03,943/- रू0 की धनराशि पर पक्षकारों के मध्य समझौता हुआ।



लोक अदालत में 4130 वादों का निस्तारण

रुद्रपुर, संवाददाता। ऊधमसिंहनगर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित वादों के साथ प्री-लिटिगेशन मामलों का भी आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। जिलेभर में कुल 4130 वादों का निस्तारण हुआ, जबकि प्री-लिटिगेशन के 297 मामले भी निस्तार गए। लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाते हुए त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराना रहा।

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देश और जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर के आदेश के तहत द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय रुद्रपुर में अपर जिला न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्या की पीठ ने 57 वाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयेंद्र सिंह ने 504 वाद, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) गुंजन सिंह ने 377 वाद तथा विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुद्रपुर रितिका सेमवाल ने 48 वादों का निस्तारण किया। जिला मुख्यालय पर लोक अदालत के लिए आठ विशेष पीठों का गठन किया गया था। पक्षकारों की सुविधा के लिए बैंक, बीमा समेत विभिन्न विभागों के सहायता काउंटर और स्टॉल भी लगाए गए। लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित मामलों के अलावा ऐसे विवाद भी शामिल किए गए, जो अभी न्यायालय में दाखिल नहीं हुए थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ममता पंत ने आभार व्यक्त किया।

रुद्रपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण करते न्यायिक अधिकारी। • हिंदुस्तान

राष्ट्रीय लोक अदालत में 60 वादों का निस्तारण

जसपुर। राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को 60 वादों का निस्तारण किया गया। सिविल जज (जुडि.) जहांआरा अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित लोक अदालत में धारा 138 एनआई एक्ट के 19 वाद, शमनीय प्रकृति के पांच आपराधिक वाद, घरेलू हिंसा अधिनियम के पांच वाद और मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित 31 वादों का निस्तारण किया गया।

The consolidated report is as under:

S. No.	Name of Court / Category	Cases Taken Up	Cases Disposed Of	Settlement Amount (₹)
1	Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital	56	56	5,44,85,430
2	District Court, Almora	161	161	1,66,64,905
3	District Court, Bageshwar	92	92	42,99,876
4	District Court, Chamoli	85	85	95,20,210
5	District Court, Champawat	66	66	62,39,168
6	District Court, Dehradun	5,542	5,541	26,49,89,532
7	District Court, Haridwar	3,878	3,878	16,52,72,446
8	District Court, Nainital	1,045	1,045	3,93,28,619
9	District Court, Pauri Garhwal	1,366	1,366	2,05,86,343
10	District Court, Pithoragarh	188	188	1,61,36,489
11	District Court, Rudraprayag	87	87	38,78,942
12	District Court, Tehri Garhwal	346	346	1,56,82,207
13	District Court, Udham Singh Nagar	4,123	4,123	62,70,17,222
14	District Court, Uttarkashi	153	152	1,17,30,000
	Subtotal (A)	**17,188**	**17,186**	**1,25,58,31,389**
15	Pre-litigation cases (not yet brought before a court)	8,245	8,245	13,65,18,055
16	Consumer Courts	47	47	1,48,97,742
17	Commercial Court, Dehradun	12	12	1,03,01,993
	Subtotal (B)	**8,304**	**8,304**	**16,17,17,790**
	Grand Total (A + B)	**25,492**	**25,490**	**1,41,75,49,179**

International Day of Democracy (15th September,2026)

As per the directions of the **Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital**, and in accordance with the annual action plan under the **Legal Services Authority Awareness Programme**, all **District Legal Services Authorities** organized a **Legal Awareness Programme on the occasion of International Day of Democracy on 15.09.2026**.

The main objective of the programme was to create awareness among the participants regarding the **meaning and importance of democracy**, constitutional values, citizens' rights and duties, and the role of every citizen in strengthening the democratic system. The participants were sensitized that democracy is not limited merely to the exercise of the **right to vote**, but also involves



अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

धारा न्यूज संवाददाता, नई टिहरी

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश नितिन शर्मा के निर्देशानुपालन में मगलवार 15 सितम्बर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दयाराम के तत्वावधान में विकासखण्ड थौलधार, जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय कमांद,थौलधार, टिहरी गढ़वाल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर को संबोधित करते हुए सचिव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों, अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। लोकतंत्र केवल चुनाव प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव अधिकारों, स्वतंत्रता और नागरिक सहभागिता का प्रतीक है। लोकतंत्र की वास्तविक ताकत उसके जागरूक नागरिकों और मजबूत कानून व्यवस्था में निहित है।

उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को अपने अधिकारों के साथ-साथ संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। वर्तमान समय में भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। भारत में प्राचीन काल से ही लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें मजबूत रही हैं।

भारत का संविधान हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार, विचार अभिव्यक्ति की आजादी और मतदान का अधिकार देता है। साथ ही सचिव द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को निःशुल्क कानूनी सहायता, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की जनकल्याणकारी योजनाओं और मौलिक अधिकारों की जानकारी दी गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग का कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रहे, इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सदैव तत्पर है।

इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर गौरी सेवक, राजकीय इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य चिन्तामणी वर्मा,प्रभारी पुलिस चौकी कमांद जुगल किशोर भट्ट, रिटेनर अधिवक्ता राजपाल सिंह मियां, अधिकार मित्र सोमवारी लाल सकलानी %निशान्त% समस्त शिक्षकगण एवं महाविद्यालय व राजकीय इंटर कालेज कमांद के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

active participation of citizens, respect for constitutional values, awareness of rights and responsibilities, and contribution towards a just and inclusive society.

During the programme, the participants were informed about the importance of **constitutional values, equality, freedom, justice and equal opportunities** for all citizens. They were encouraged to remain aware of their rights and duties and to actively participate in democratic processes. Emphasis was also laid on the importance of **social harmony, equality and respect for the rights of others** in strengthening democracy.

The programmes organized on the occasion of **International Day of Democracy** successfully created awareness among students and members of the public regarding the importance of democracy, constitutional values, fundamental rights and duties, equality, freedom and access to justice.



ALMORA



BAGESHWAR



CHAMOLI



CHAMPAWAT



DEHRADUN



HARIDWAR



NAINITAL



PAURI GARHWAL



PITHORAGARH



RUDRAPRAYAG



TEHRI GARHWAL



UDHAM SINGH NAGAR



UTTARKASHI



मोदी के जन्मदिन पर होगी विशेष पूजा

गढ़वाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 51वें जन्मदिन पर श्री बदरीनाथ और श्री केदारनाथ धाम में विशेष पूजा एवं धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि 16 सितंबर को मुख्यमंत्री धामी के जन्मदिन पर दोनों धामों में 51 आशीर्वाद दीप और 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर 76 आशीर्वाद दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे।

युवक ने अलकनंदा में लगाई छलांग, लापता

कर्णप्रयाग। मंगलवार को एक व्यक्ति ने कर्णप्रयाग में नए बस अड्डे के सामने अलकनंदा के ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने के बाद नदी में छलांग लगा दी। सूचना पर पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और नदी में युवक की खोजबीन की। पुलिस ने बताया कि नदी में गिरने के बाद युवक नदी में तैर रहा था, बाद में वह तेज बहाव में बहकर लापता हो गया। पुलिस, एसडीआरएफ के खोजबीन में जुटे रहे।

चंदोला रांई में विधिक सेवा केंद्र शुरू

पौड़ी। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर विकासखंड पौड़ी के ग्राम चंदोला रांई में मंगलवार को विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान नालसा विधिक सेवा केंद्र योजना-2010 के तहत विधिक सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज नाजिश कलीम ने कई जानकारियां दीं।

गौचर में 18 को होगी मेले को लेकर बैठक

गौचर। चमोली जिले के गौचर में 14 से 20 नवंबर तक 74 वें राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का आयोजित होगा। मेले के सफल आयोजन एवं विचार-विमर्श किये जाने के लिए जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में प्रथम बैठक 18 सितंबर को मध्याह्न 12 बजे से स्थान राजकीय इंटर कॉलेज गौचर के सभागार कक्ष में बैठक आहूत की गई है।

आरोपी को देहरादून से किया गिरफ्तार

नई टिहरी। टिहरी पुलिस ने एनआई एक्ट के एक वारंटी को देहरादून के नेहरू कालोनी से गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले में वारंटी को न्यायालय में भी पेश किया गया है। जहां से वारंटी को जेल भेज दिया गया है। वारंटी विजयपाल सिंह पुत्र भगत सिंह, निवासी सेक्टर-2, जीजी विधि विहार, थाना नई टिहरी, जनपद

As per the Data received from DLSAs, the consolidated report is as under:

S.N	District	Place	Total No. of Person Attended	Remark
1	Almora	Atal Utkrisht Govt. Inter College, Deenapani. Total 68 camps were organised by PLVs.	1769	Sensitized the students about topics such as the rule of law, freedom of expression, equality and the importance of democracy.
2	Bageshwar	Lt. Chandra Singh Sahi Govt. College and village Syaldey.	433	Legal Literacy and Awareness Camp. Total 16 camps were organised by PLVs.
3	Chamoli	Govt. Girls Inter College.	719	Legal Literacy and Awareness Camp. Total 15 camps were organised by PLVs.
4	Champawat	Govt. Inter College, Barakot.	678	Legal Literacy and Awareness Camp. Total 16 camps were organised by PLVs.
5	Dehradun	At various places.	1050	Legal Literacy and Awareness Camp. Total 24 camps were organised by PLVs.
6	Haridwar	SMJN(PG) College Govind Puri.	2223	Legal literacy and Awareness camp. Total 59 camps were organised by PLVs. Distributed brochures in public area and market places.
7	Nainital	At various places.	730	T Legal Literacy and Awareness Camp. Total 16 camps were organised by PLVs.
8	Pauri Garhwal	At various places.	638	Legal Literacy and Awareness Camp. Total 26 camps were organised by PLVs.
9	Pithoragarh	Govt. Inter College, Bichul, Pithoragarh.	36	Legal Literacy and Awareness Camp with objective to promote the principal of democracy, human rights, freedom and equality.
10	Rudraprayag	Govt. Inter College, Tilaknagar, Rudraprayag.	669	Legal Literacy and Awareness Camp were organised in villages and made aware of the value of their vote and democratic rights in a strong democracy. Total 25 camps were organised by PLVs.
11	Tehri Garhwal	P.G. College kamand	1942	Total 10 camps were organised by PLVs. A debate competition was organised on the topic of democracy in the colleges.
12	Udam Singh Nagar	Balika Inter College, Kiccha.	180	Awareness about fundamental principal of democracy including civil rights, the rule of law. Equality, justice and active participation in the democracy process.
13	Uttarkashi	Villege- Tunalka	1734	Total 79 camps were organised by PLVs.

Multipurpose Camps (6th September, 2026)

On **6th September, 2026** under the chairmanship of Hon'ble Shri Justice Manoj Kumar Gupta, Chief Justice, High Court of Uttarakahand, Hon'ble Shri Justice Manoj Kumar Tiwari, Executive Chairman, UKSLSA, Hon'ble Shri Justice Rakesh Thapliyal, Judge, Hon'ble High Court of Uttarakhand, organized a **Multi-Purpose Camp at Jai Community Centre, Selaqui and P.M. Shri Shaheed Satyendra Chauhan Atal Utkrisht Inter College, Selaqui, Dehradun.**

Hon'ble the Chief Justice therefore inspected more than 40 stalls set up by Government Department set up by Govt. Department and NGOs. Special inspection was made of health camps organized by Graphic Era, Seema Dental College and Rahi Netradham.

The participating departments:

- Social Welfare Department,
- Medical Department,
- Udyan Vibhag,
- Food Supply Department,
- Animal Husbandry Department,
- Police Department,
- NDRF/SDRF.





Health department conducted sugar, BP, Hemoglobin, ECG check-up and free medicine distribution, dental check-up and eye check-up with distribution of spectacles.

More than **2000 beneficiaries** were benefitted through schemes and services of various departments and **more than 3500 persons** participated in the camp.

Outcome of Camp

The camp also served as a platform for disseminating information regarding government benefits, certification procedures, legal services and welfare schemes. The beneficiaries were benefited from the services provided, while the participating students and members of the public were motivated by the addresses of the Hon'ble Judges and other dignitaries.



तापमान (6 सितंबर) 28.6° अधिकतम 23.2° न्यूनतम | सूर्य अस्त (आज) 06:35 उदय (कल) 05:57 | आर्द्रता 97%

विकासनगर जागरण

उड़ता पंजाब मूवी की तरह नशे में बर्बाद न हो नई पीढ़ी

डीएलएसए देहरादून ने सेलाकुई में लगाया शिविर, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने लोगों को किया संबोधित

संवाद सूत्र जागरण ● सेलाकुई: उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने कहा कि नई पीढ़ी उड़ता पंजाब मूवी की तरह नशे में बर्बाद न हो, इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। अभिभावकों को बच्चों पर विशेष ध्यान देना होगा।

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून ने रविवार को जय कम्युनिटी सेंटर सेलाकुई व पीएम श्री शहीद सत्येंद्र चौहान अटल उत्कृष्ट इंटर कालेज सेलाकुई के सहयोग से शिविर आयोजित किया। इसमें मुख्य न्यायाधीश ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ओर से प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक की सराहना करते हुए कहा कि कलाकारों ने नशे के दुष्परिणामों को अत्यंत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा दिलाई।

इससे पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर शिविर शुरू किया। कार्यक्रम में संस्कृति विभाग देहरादून के कलाकारों ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत एवं लोक नृत्य प्रस्तुत किया।

मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायमूर्तियों ने चार विद्यालयों को कंप्यूटर, यूपीएस एवं प्रिंटर, पांच विद्यालयों को आरओ प्रदान किए। वर्ष 2025-26 में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के मेधावी छात्र-छात्राओं को टैबलेट दिए गए। जरूरतमंदों को स्कूल बैग, स्टेशनरी, ट्रैक सूट, कंबल, मेडिकल किट, म्हालाक्ष्मी किट और बेबी किट वितरित की गई। शिविर की स्वच्छता में सहयोग करने वाले 12 पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया गया। शिविर में 40 से अधिक सरकारी विभागों एवं गैर-सरकारी संस्थाओं की ओर से स्टाल लगाए गए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने विभिन्न स्टाल का निरीक्षण कर विभागों की ओर से उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं और योजनाओं की जानकारी ली। शासकीय एवं, सीमा डेंटल कालेज व राही नेत्रधाम की ओर से लगाए गए स्वास्थ्य शिविर का भी निरीक्षण किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सीमा डुंगराकोटी ने बताया कि इस प्रकार के शिविरों का उद्देश्य जरूरतमंद एवं वंचित वर्ग तक न्याय एवं सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय अरुके खुल्बे, सदस्य सचिव उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल प्रदीप कुमार मणि, जिलाधिकारी डा. आशीष चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोबाल, आर एसीसिएशन देहरादून के अध्यक्ष अनिल कुकरेती, सचिव अजय बिष्ट आदि मौजूद रहे।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता फाउंडेशन अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल सेलाकुई में बहुद्देशीय विधिक सेवाएं एवं जागरूकता शिविर का शुभारंभ करते हुए ● जागरण

सेलाकुई में बहुद्देशीय विधिक सेवाएं एवं जागरूकता शिविर में प्रस्तुति देते कलाकार ● जागरण

सेलाकुई में विधिक सेवाएं एवं जागरूकता शिविर में मौजूद न्यायिक अधिकारी व अन्य ● जागरण

The Multi-Purpose Camp organized at Jai Community Centre, Selaqui and P.M. Shri Shaheed Satyendra Chauhan Atal Utkrisht Inter College, Selaqui, Dehradun was a significant initiative towards ensuring **grassroots-level access to justice, legal awareness, government welfare schemes and essential public services**. The participation of various departments and organizations helped establish greater coordination for extending services to the public.

The camp conducted successfully with wide public participation and inter-departmental coordination and therefore, contributed meaningfully towards the objectives of the NALSA's and UKSLSA's objective to facilitate access to justice and welfare services for all sections of society.



- Computer, UPS and Printer to 4 Schools.
- RO/Water purifier- 5 Schools.
- Tablets to class 10th and 12th for the year 2025-26.



- Wheelchairs.
- Mahalakshmi Kits.
- Crutches.
- Walker.
- Hearing Aids.



- School Bags and Stationary.
- Track suits, Blankets and Medical Kits.



- Felicitation: 12 Paryavaran Mitras who cooperated in cleanliness of the camps were felicitated.

Multipurpose Camps (27th September, 2026)

In compliance with the directions issued by the Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital, the District Legal Services Authority, Chamoli organized a **Multi-Purpose Legal Awareness and Literacy Camp** on **27th September, 2026 at Government College, Gopeshwar**, under the chairmanship of Hon'ble Mr. Justice Manoj Kumar Tiwari, Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital**.**



The camp was inaugurated in the gracious presence of Hon'ble Mr. Justice Alok Mahra, Judge, High Court of Uttarakhand, Nainital, Shri Pradeep Kumar Mani, Member Secretary, Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital; Shri Bindhyachal Singh, District Judge, Chamol, Shri Gaurav Kumar, District Magistrate, Chamoli, along with other judicial officers, administrative officers, departmental officials, staff members, Para-Legal Volunteers and Adhikar Mitras.

During the camp, as part of the **Nasha Mukt Bharat Abhiyan**, **Akshat Natya Sanstha** presented a street play on the theme of **drug de-addiction and prevention of substance abuse**. The street play effectively highlighted the harmful effects of drug abuse and the importance of staying away from intoxicating substances.



The presentation was well appreciated by the members of the public. Approximately **1,490 persons** participated in the camp.



The **Agriculture Department** provided information relating to modern agricultural techniques, improved methods of cultivation, seed distribution and various schemes for farmers. The **Animal Husbandry Department** disseminated information regarding schemes and facilities available for livestock and animal husbandry. The **Social Welfare Department** provided information regarding **scholarships, disability pensions, widow pensions** and other welfare schemes. The **Women Empowerment and Child Development Department** provided information regarding the **Mahalakshmi Kit Scheme** and various welfare schemes for women and children.

The **Police Department** sensitized the public regarding **cyber safety, the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, women's rights and various helpline numbers** available for assistance.



At the conclusion of the programme, the Hon'ble Juges also **inspected the stalls established by various departments** and took information regarding the activities being undertaken by them and the services being provided to the general public. The Multi-Purpose Legal Literacy/Awareness Camp successfully served as an effective platform for creating legal awareness among the public and disseminating information regarding various government welfare schemes, legal services and public welfare initiatives



- Wheelchairs distributed-2
- Atal awas- 7
- Walker- 2
- Hearing Aid-13

- Crutches-8
- Mahalaxmi Kits-7
- Sitting Pot- 4
- UDID Pension Crad-8





- Street Light- 26
- Free Eye check-up camp and medicine distribution.

- Free Medical Camp.
- Bank Check Distribution.
- Blankets Distribution.



Miscellaneous Programmes & Activities













काशीपुर/उधम सिंह नगर
1 सितंबर 2026 दिन र
मंगलवार

सुरागी लाल
—आपकी आवाज, आपकी खबर!—
सच के साथ, समाज के लिए
स्थानीय समाचार 02

किसान इंटर कॉलेज कुंडेश्वरी में विधिक जागरुकता एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन

माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती ममता पंत ने छात्र-छात्राओं को विधिक अधिकारों एवं नशे के दुष्परिणामों के प्रति किया जागरुक

काशीपुर। उच्चतम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उधम सिंह नगर के तत्वावधान में मंगलवार, 01 सितंबर 2026 को किसान इंटर कॉलेज, कुंडेश्वरी, तहसील काशीपुर में विधिक जागरूकता एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया।



कार्यक्रम का आयोजन **माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उधम सिंह नगर श्रीमती ममता पंत जी के** मार्गदर्शन एवं अध्यक्षता में सफलतापूर्वक किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। विद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा माँ सरस्वती की सुंदर प्रस्तुति भी दी गई।

बच्चों को दिए महत्वपूर्ण संदेश

माननीय श्रीमती ममता पंत जी द्वारा शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट, महिला अधिकार, नालसा की विभिन्न विधिक योजनाओं, नालसा टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उचित विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।



इसके साथ ही माननीय श्रीमती ममता पंत जी ने छात्र-छात्राओं को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में जानकारी देते हुए नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन अपनाने की सलाह दी।

मेगा ड्राइव चरण-1 की जानकारी

माननीय सचिव महोदया द्वारा मेगा ड्राइव चरण-1 के संबंध में भी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि ग्राम हरिनगर, ढकिया कला में मेगा ड्राइव चरण-1 कार्यक्रम की शुरूआत 25 अगस्त 2026 से हो गई है। इसके अंतर्गत पैरा लीगल वालंटियर्स (PLV) द्वारा लगातार डोर-टू-डोर जाकर ग्रामीण लोगों की जमीनी स्तर से जुड़ी समस्याओं को दर्ज किया जा रहा है तथा संबंधित विभागों के माध्यम से उन समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जा रहा है।



विभिन्न विभागों की रही सहभागिता

शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। पुलिस विभाग से श्रीमती मीना रावत, राजस्व विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र /एल.डी. भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर से डॉ. सत्यम चौहान (एमबीबीएस) सहित स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं लोगों को अपने-अपने विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की गई।

60 से 70 छात्र-छात्राओं का हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण

शिविर के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सकीय जांच की गई। लगभग 60 से 70 छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा चिकित्सकीय आवश्यकता के अनुसार उन्हें निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया।

श्रम विभाग एवं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा लगभग 10 से 15 आवेदनों में आई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। इससे उपस्थित लोगों को विभागीय योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता मिली।



कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने-अपने विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छात्र-छात्राओं एवं उपस्थित लोगों के साथ साझा की गई। शिविर में काशीपुर क्षेत्र के समस्त पैरा लीगल वालंटियर्स (PLV) उपस्थित रहे।

सबसे तेज प्रधान टाइम्स

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ग्राम एक्कड़ कलाँ में किया साप्ताहिक निरीक्षण

सचिन आर्य

हरिद्वार(सबसे तेज प्रधान टाइम्स)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार श्री नरेंद्र दत्त जी के आदेशानुसार, सिविल जज (एस0डी0)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार श्रीमती सिमरनजीत कौर द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा चलाए जा रहे 60 दिवसीय विशेष अभियान मेगा ड्राइव के तहत सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार, श्रीमती सिमरनजीत कौर द्वारा ग्राम एक्कड़ कलाँ में साप्ताहिक निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान अधिकार मित्र/पीए एल0 सी0 के द्वारा किए जा रहे कार्यों की गहन समीक्षा की गयी एवं उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, इस दौरान सचिव द्वारा पंचायत घर अंबेडकर भवन ग्राम में आगामी 8 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं समाधान शिविर की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी। इस मीटिंग में जिला पंचायती राज अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। सचिव द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए कि ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु विधिक विभागों के विभागाध्यक्ष एवं प्रतिनिधि शिविर में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। निरीक्षण अभियान के अंतर्गत सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार ने ग्राम एक्कड़ कलाँ, सराय क्षेत्रों का भ्रमण किया. भ्रमण के दौरान स्थानीय नागरिकों द्वारा बताई गयी विभिन्न समस्याओं को सुना गया तथा समाधान हेतु उचित विधिक सलाह प्रदान करायी गयी, इस निरीक्षण और बैठक के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिटेनर अधिवक्ता कजल सैनी व इंटर्शिप कर रहे लॉ इंटर्नस उपस्थित रहे, जिन्हें विधिक जागरूकता के संबंध में प्रत्यक्ष अनुभव कराया गया। वहीं दूसरी ओर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार श्रीमती सिमरनजीत कौर की अध्यक्षता में जिले के सभी अधिकार मित्रों की मासिक बैठक आहूत की गयी। माह अगस्त के किए गए कार्यों की समीक्षा की गयी तथा माह सितंबर 2026 के प्लान ऑफ एक्शन के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करायी गयी तथा माह सितंबर में होने वाली गतिविधियों के बारे में अधिकार मित्रों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। उसके उपरांत सांय 4 बजे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा कार्यालय में प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड एक्सपायरी आइटम से संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आहूत की जिसमें डूग इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर एवं स्वास्थ्य विभाग से प्रतिनिधि आए थे जिसमें उनके द्वारा माह अगस्त में किए गए कार्यों की समीक्षा की गयी, बैठक में लॉ इंटर्न भी उपस्थित थे जिससे इंटर्न को विधिक जागरूकता के संबंध में प्रत्यक्ष अनुभव कराया गया तथा आइटम की मासिक बैठक के जोड़ियों के बारे में बताया गया तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बैठक में उपस्थित विभागों से संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को उचित निर्देश दिए।



शिविर में बने राशन कार्ड 49 की हुई स्वास्थ्य जांच

प्राधिकरण की ओर से ग्राम एक्कड़ कलां में आयोजित हुआ शिविर

संवाद न्यूज एजेंसी

रोशनाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ग्राम एक्कड़ कलां में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता व समाधान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में ग्रामीण जनता की 119 समस्याओं के आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। यह शिविर जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेंद्र दत्त के आदेशानुसार आयोजित हुआ।

सिविल जज और प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने इसकी अध्यक्षता की। पंचायत भवन में आयोजित मेगा शिविर में स्वास्थ्य, ग्राम पंचायत, स्वास्थ्य आपूर्ति, राजस्व और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बहादरगढ़ के चीडीओ मानस मित्तल अपनी टीम के साथ मौजूद थे। ग्राम प्रधान एकता पटेल भी कार्यक्रम में शामिल हुईं।

इसमें खाद्य आपूर्ति विभाग ने मौके पर ही 20 आवेदकों के राशन कार्ड तैयार किए। समाज कल्याण विभाग ने दो व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान किया।



एक्कड़ कलां में विधिक साक्षरता एवं समाधान शिविर का हुआ आयोजन। फोटो : जागरूक चौहान

कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति ग्रामीणों को किया जागरूक

विभाग ने वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। स्वास्थ्य विभाग ने 49 व्यक्तियों की चिकित्सा जांच की। इसमें शुगर और बीपी की सामान्य जांच शामिल थी। ग्राम पंचायत विभाग ने भी जनता की कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया।

अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर लॉ इंटर्न शोभी ने मौजूद लोगों को जानकारी दी। उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर विस्तार से बताया। शोभी ने शिक्षा के महत्व और उद्देश्यों पर भी प्रकाश डाला।

इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामवासी और अधिकार मित्र उपस्थित रहे। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना था।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के प्रयासों से बिहार से भटककर आई अज्ञात बालिका अपने परिवार से मिली

पांच माह बाद परिवार से मिलकर बालिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा

नैनीताल, 9 सितंबर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के अथक प्रयासों से घर से भटक कर बिहार से हल्द्वानी पहुंची एक अज्ञात बालिका आखिरकार पांच माह बाद अपने परिवार से मिल गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के प्रयासों से बालिका के परिजनों का पता लगाया गया और बुधवारो को उसे सकुशल उसके पिता एवं बड़े भाई के सुपुर्द कर दिया गया।

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के आदेशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की सचिव एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन श्रीमती पारुल थपलियाल के निर्देशन में पैरा लीगल वालंटियर श्रीमती उमा भंडारी द्वारा नारी निकेतन हल्द्वानी में रह रही एक अज्ञात बालिका की पहचान और उसके परिजनों को तलाशने के लिए लगातार प्रयास किए गए।

बताया गया कि यह बालिका 2 अप्रैल 2026 को बिहार से हल्द्वानी पहुंची थी। वह अपना नामा, पता अथवा अपने किसी परिजन के संबंध में कोई जानकारी देने में असमर्थ थी। पहचान संबंधी दस्तावेज और आधार कार्ड की जानकारी उपलब्ध न होने के कारण परिजनों की तलाश में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।



बालिका अपने पिता एवं बड़े भाई के साथ।

लगातार प्रयासों के बाद बुधवार 9 सितंबर 2026 को बालिका को सकुशल एवं स्वस्थ अवस्था में उसके पिता और बड़े भाई के सुपुर्द कर दिया गया।

लंबे समय बाद अपनी बेटी को वापस पाकर परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस मानवीय पहल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सफल प्रयास ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सही दिशा में किए गए निरंतर प्रयास किसी बिछड़े हुए व्यक्ति को उसके अपनों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

रुवार को बुजुर्गों को सम्मानित करते रानीपुर विधायक आदेश चौहान। • हिन्दुस्तान

वरिष्ठ नागरिक समाज की अमूल्य धरोहर

हरिद्वार। पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से शिवालिक नगर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर वरिष्ठ नागरिक कल्याण व सेवा समिति का स्थानीय होटल में वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीएनबी बैंक के मंडल प्रमुख रंजन प्रकाश उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सिमरनजीत कौर व पीएनबी के मुख्य प्रबंधक अनिल चौहान ने सहभागिता की। समारोह में समिति के संरक्षक मंडल कुंवर पाल सिंह चौहान, विजय कुमार गोयल व अनिल कुमार समेत वरिष्ठ नागरिक और अतिथिगण उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि कि वरिष्ठ नागरिक समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनके अनुभव, संघर्ष और जीवन की सीख आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक हैं।

सबसे तेज प्रधान टाइम्स

एसएमजेएन पीजी कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

सचिन अहर्ष

हरिद्वार (सबसे तेज प्रधान टाइम्स)। 15.09.26 को एस. एम. जे. एन. (पी.जी.) कॉलेज हरिद्वार में विधिक जागरूकता न साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती नीतू जोशी, न्यायाधीश (उच्चतर न्यायिक सेवा), अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत हरिद्वार उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि व कॉलेज के प्राचार्य डॉ0 सुनील बजा जी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया, कॉलेज की छात्रा लक्ष्मी द्वारा मधुर स्वर में सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर कॉलेज में भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ एवं सुझाव विषय पर छात्र-छात्राओं व ला इंटर्न्स द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किए गए। इसी क्रम में रश्मि कुमार सैमानी डिप्टी एल.ए.यू.डी.सी. के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के विषय पर भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था व संवैधान में उल्लिखित जीलिक अधिकारों के संबंध में न जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों के बारे में बताया। प्राचार्य द्वारा भी भारतीय लोकतंत्र के सम्बन्ध में सम्बोधन करते हुए कहा कि लोकतंत्र केवल एक शासन व्यवस्था नहीं, बल्कि नागरिकों की सक्रिय



यहभागिता, संवैधानिक मूल्यों के सम्मान और अपने अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता का नाम है। मुख्य अतिथि द्वारा अपने संबोधन में लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका व न्यायपालिका की कार्यप्रणाली के बारे में बताया तथा स्थायी लोक अदालत हरिद्वार के बारे में उसकी कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी, जिसमें स्थायी लोक अदालत में वाद दायर करने के संबंध में जो मामले पब्लिक यूटिलिटी सर्विस (लोक उपयोगी सुविधा सेवा) से संबंधित जिनका मूल्यांकन 1 करोड़ रुपये तक हो, जैसे- यातु, सड़क, जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए यात्रापात सेवा, डाक या तार या टेलीफोन सेवा, ऐसा संस्थान जो जनता को बिजली प्रकाश या जल प्रदान करता है, लोक सफाई या स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल व औषधालय में सेवा, बीमा सेवा और बैंकिंग सेवा, शैक्षिक व शैक्षणिक संस्थानों, आवास व भू संपदा सेवा आते हैं ऐसे मामले स्थायी लोक अदालत में गोजित किए जा सकते हैं।

अध्यक्ष द्वारा यह भी जानकारी प्रदान कराई गयी कि अब स्थायी लोक अदालत में वाद को सुनवाई पक्षकारों के निर्णय पर वीसी (VC) के माध्यम से भी की जा सकती है और ईमेल के माध्यम से भी वाद गोजित किए जा सकते हैं। मुख्य अतिथि व प्राचार्य द्वारा कॉलेज को प्रोफेसर डॉ0 पूर्णिमा शर्मा द्वारा न्यूट्रेशन एंड स्पेशलिटी फूड्स विषय पर लिखित पुस्तक का विमोचन किया तथा डॉ0 पद्मावती तनेजा की पुस्तक बैंकिंग गुरुमित को आई, के. इस, लिस्ट में सम्मिलित किए जाने पर सम्मानित किया गया और मुख्य अतिथि द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा स्थापित लीगल एड क्लीनिक का भी निरीक्षण किया तथा नि:शुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराए जाने में सहयोग प्रदान किये जाने के संबंध में भी कॉलेज प्रशासन की प्रशंसा की। कॉलेज के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ, पर्यावरण प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई, लीगल एड सेल व हिन्दी विभाग तथा मानव कल्याण के संयुक्त तत्वावधान में 0 सितम्बर से 15 सितम्बर तक आयोजित किए गए हिन्दी सप्ताहरूव के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक, एवं रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा था, उनका भी आज समापन हुआ तथा इस महोत्सव में प्रतिभाग करने वाले छात्र-छात्राओं को मुख्य अतिथि व प्राचार्य द्वारा प्रमाण पत्र व रोचक पुरस्कार देकर उत्साहवर्धन किया गया। आज के इस कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ0 आशा शर्मा व मीना शर्मा ने किया। इस अवसर पर कॉलेज के अध्यापकगण डॉ0 सरोज शर्मा, डॉ0 पूर्णिमा सुन्दरियाल पर्व डॉ0 मीनाक्षी शर्मा, डॉ0 शिव कुमार चौहान, डॉ0 सुषमा न्यायल, डॉ0 लता शर्मा, डॉ0 अनुरूप, डॉ0 पूनीता शर्मा कॉलेज का समस्त स्टाफ व भारी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉ0 संजय कुमार गहेरी ने सफल कार्यक्रम शैली पर सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

राजकीय विद्यालय में दी कानूनी जानकारी

पिथौरागढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिछुल में विश्व लोकतंत्र दिवस पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया। जिला विधिक सेव प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी ने कानूनी जानकारी साझा की। संवाद

अल्मोड़ा/बागेश्वर जागरण

एक्सपायरी दवा और खाद्य पदार्थ बेचने पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, बागेश्वर : नवरात्र और दशहरा पर्व के दौरान एक्सपायरी दवाओं और खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनीता कुमारी ने औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और कैमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ आनलाइन बैठक की। इस बैठक में मेडिकल स्टोर, मिठाई की दुकानों और जनरल स्टोरों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।

सचिव ने औषधि निरीक्षक को समय-समय पर मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। कैमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष को अपने सदस्यों को एक्सपायरी दवाओं की बिक्री न करने और चिकित्सक की सलाह के बिना दवा न बेचने के लिए निर्देशित करने को कहा गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुण कुमार ने बैठक में बताया कि कोट भ्रामरी मेले में दुकानों की जांच की गई है।

देहरादून/हरिद्वार, 16 सितंबर, 2026 दैनिक जागरण III

छात्र-छात्राओं को दी लोक अदालत की जानकारी

जागरण संवाददाता, हरिद्वार : एसएमजेएन पीजी कालेज हरिद्वार में विधिक जागरूकता व साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में स्थायी लोक अदालत की अध्यक्ष नीतू जोशी और कालेज के प्राचार्य डा. सुनील बजा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर कालेज में भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों एवं सुझाव विषय पर छात्र-छात्राओं व ला इंटर्न्स ने भी अपने विचार व्यक्त किए गए।

एसएमजेएन पीजी कालेज में आयोजित हुआ विधिक जागरूकता शिविर

मुख्य अतिथि नीतू जोशी ने कहा कि स्थायी लोक अदालत में ऐसे मामले सीजित किए जाते हैं, जिनका मूल्यांकन एक करोड़ रुपये तक हो। जिनमें जैसे जल, सड़क, जलमार्ग से यात्रियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा, डाक या तार या टेलीफोन सेवा, बीमा सेवा और बैंकिंग सेवा, शैक्षिक व औषधीय संस्थानों, आवास व भू संपदा सेवा आते हैं।



पैडुल गांव में खुला विधिक सेवा केंद्र, ग्रामीणों को गांव में ही मिलेगी नि:शुल्क कानूनी सहायता

गबर सिंह भण्डारी

हरिद्वार/पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल (सबसे तेज प्रधान टाइम्स)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मेगा अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ग्रामसभा पैडुल में विधिक सेवा केंद्र की स्थापना की गयी। प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज नाज़िश कलीम ने केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्र के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के पात्र एवं जरूरतमंद लोगों को अब गांव में ही नि:शुल्क विधिक सहायता और कानूनी परामर्श उपलब्ध हो सकेगा। इस दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ग्रामीणों को नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया,उनके विधिक अधिकारों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मेगा अभियान का उद्देश्य विधिक



सेवाओं को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाना है, ताकि आर्थिक अथवा अन्य कारणों से कानूनी सहायता प्राप्त करने में असमर्थ पात्र लोगों को नि:शुल्क विधिक सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा केंद्र के माध्यम से ग्रामीणों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ ही आवश्यकता के अनुसार कानूनी सलाह एवं सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। केंद्र की स्थापना से ग्रामीणों को छोटी-छोटी कानूनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय तक आने की आवश्यकता भी कम होगी। इसके साथ ही पात्र लोगों को विभिन्न विधिक योजनाओं से जोड़ने तथा जरूरतमंदों को समय पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने में केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में ज्येष्ठ उप प्रमुख पौड़ी अर्चना तोपाल,रिटेनर अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह रावत,ग्राम प्रधान पैडुल रीमू देवी,ग्राम प्रधान मोल्ठी हरेन्द्र सिंह,अधिकार मित्र सावित्री रावत,सोनम ममगाई सहित ग्रामीण उपस्थित रहे।

विद्यार्थियों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी

पिथौरागढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राजकीय इंटर कॉलेज शैलकुमारी में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की 2018 की मुआवजा योजना, उत्तराखण्ड यौन उत्पीड़न / अन्य अपराधों की महिला पीड़ितों के लिए उत्तरजीवियों मुआवजा योजना के बारे में जानकारी दी। सचिव ने मुख्य उद्देश्य पीड़ितों को सम्मानपूर्वक जीवन और त्वरित न्याय दिलाना है।